नवीन पु० – 2749/2017

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक / 2017निगरानी

I/निगरानी/विदिशा/भू.रा.10/2017/2749

श्री आर.एस.-सेंगर
द्वारा आज दि. 21-08-17 को
प्रस्तुत
21.8.17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

आर.एस. सेंगर
अभिभाषक
21-8-17

भगवान सिंह पुत्र देवी सिंह निवासी वार्ड नं. 14 त्यौंदा रोड गंजबासौदा तहसील गंजबासौदा जिला विदिशा म.प्र.

.... आवेदक

बनाम

1. कैलाश नारायण पुत्र बाला प्रसाद ग्राम पचमा हाल निवास राजेन्द्र नगर वार्ड नं. 20 गंज बासौदा तहसील गंज बासौदा जिला विदिशा म.प्र.
2. श्रीमती चन्द्रकांता बेवा राजेन्द्र कुमार
3. योगेश पुत्र राजेन्द्र कुमार
4. तरूण पुत्र राजेन्द्र कुमार
5. कु. हिना पुत्री राजेन्द्र कुमार

निवासीगण – ग्राम पचमा हाल निवास राजेन्द्र नगर वार्ड नं. 20 गंज बासौदा तहसील गंजबासोदा जिला विदिशा म.प्र.

............अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल 2 बासौदा द्वारा प्रकरण क्रमांक 85/अ– 12 / 2016– 17 सीमाकंन में पारित आदेश दिनांक 22.06.2017 से परिवेदित होकर निगरानी प्रस्तुत ।

माननीय न्यायालय ,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अनावेदकगण द्वारा ग्राम पचमा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 208 रकवा 0.157 हे. , सर्वे क्रमांक 210 , सर्वे क्रमांक 212, सर्वे क्रमांक

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/2749

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य** (3) (38)	